बिहार विधान परिषद्

188 वां सत्र

अल्पसूचित प्रश्न

वर्ग – 3

बुधवार, तिथि 07 चैत्र, 1940 (श.) / 28 मार्च, 2018 ई.

प्रश्नों की कुल संख्या – 09

1.	आपदा प्रबंधन विभाग	-	-	02
2.	निबंधन विभाग	-	-	01
3.	मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग	-	-	01
4.	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	-	-	02
5.	पर्यटन विभाग	-	-	01
6.	नगर विकास एवं आवास विभाग	-	-	02
			कुल योग –	09

फसल क्षति की भरपाई

171. **श्री सतीश कुमार** : क्या मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत बंजरिया प्रखंड के बाढ़ पीड़ित 13 पंचायतों के 7523 किसानों ने फसल क्षतिपूर्ति के लिए आवेदन दिया है, अंचल के 6727 किसानों के बीच 8592.59 हेक्टेयर भूमि पर लगी रबी फसल, गेहूं व मसूर के बर्बाद होने की भरपाई के लिए 11 करोड़ 60 लाख रु. आवंटित किया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि धान की फसल बिल्कुल बर्बाद हो गई जिससे किसानों की कमर टूट गई है परंतु अंचलकर्मी राजस्व रसीद तो कभी खेत में खड़े होकर किसानों-सलाहकारों के साथ फोटो खिंचवाने के लिए भाग-दौड़ में लगे रहते हैं तथा किसानों को आवेदन लेने में तंग, तबाह किया जाता है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बतलाएगी कि पूर्वी चम्पारण जिले के बंजरिया प्रखंड के किसानों के साथ-साथ अन्य प्रखंडों में बाढ़ से हुई फसल की क्षति की कितनी भरपाई अबतक की है और अगर बाढ़ से बर्बाद हुई फसलों की क्षति की राशि बाढ़ पीड़ित किसानों को नहीं दी गयी है तो सरकार अंचलकर्मियों के साथ पदाधिकारियों पर कार्रवाई करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

सर्वर और इंटरनेट में सुधार

172. **श्री रामचन्द्र भारती** : क्या मंत्री, निबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि बिहार राज्य की जनता के हित को ध्यान में रखकर निबंधन विभाग द्वारा फरवरी, 2016 में पूरे राज्य में ऑनलाइन निबंधन की प्रक्रिया प्रारंभ की गई;

(ख) क्या यह सही है कि ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत निबंधन कराने वालों को कई तरह की सुविधाएं भी विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई थीं;

(ग) क्या यह सही है कि निबंधन विभाग के सर्वर एवं इंटरनेट की गड़बड़ी के कारण आज तक पूरे राज्य में कुल एक सौ निबंधन भी ऑनलाइन नहीं हो पाए हैं, जिससे इस महत्वाकांक्षी योजना पर ग्रहण लग गया है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार निबंधन विभाग के सर्वर एवं इंटरनेट में शीघ्र सुधार हेतु कौन-सा कारगर कदम उठाना चाहती है, और कबतक?

मल्लाहों का भुगतान

173. **डा. रामवचन राय** : क्या मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि सुपौल जिले में पिछले तीन वर्षों से बाढ़ के समय चलायी गयी नाव का भुगतान नाव मालिकों एवं मल्लाहों को अभी तक नहीं हुआ है;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो सरकार कबतक नाव मालिकों एवं मल्लाहों को नाव का भुगतान करेगी?

एयरपोर्ट की व्यवस्था

174. **श्री केदार नाथ पाण्डेय** : क्या मंत्री, मंत्रिमंडल सचिवालय (नागरिक विमानन) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि पटना स्थित जयप्रकाश नारायण अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा माह नवम्बर से जनवरी 2018 के बीच दो सप्ताह तक यात्रियों के लिए विवादास्पद हवाई अड्डा बनकर रह गया था;

(ख) क्या यह सही है कि पिछले एक माह तक ठंड के मौसम में हवाई यात्रा करने वाले सभी वर्ग एवं आय के यात्रियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पटना एयरपोर्ट पर सिक्यूरिटी होल्ड एरिया, चेक इन प्रवेश द्वार, चेक इन एरिया, केबिन बैग और यात्रियों की चेकिंग के लिए लगे मेटल डिटेक्टर मशीनों का विस्तार कराने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक?

भूमि का वितरण

175. **प्रो. नवल किशोर यादव** : क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि पटना प्रमंडल के छः जिलों में दो चरणों में महादलितों को भूमि वितरण की गई है, जिसमें पटना में 56, कैमूर में 3, भोजपुर में 2, बक्सर और नालन्दा में एक-एक लाभार्थी को भूमि नहीं मिल सकी है लेकिन रोहतास में महादलित लाभार्थियों में अभी भी 308 लोगों को भूमि नहीं मिल सकी है, जिससे उनमें असंतोष व्याप्त है;

(ख) क्या यह सही है कि रोहतास में लाभार्थी को भूमि वितरण के बाद अधिशेष भूमि लगभग चार हजार एकड़ है जिसमें अबतक मात्र 84 एकड़ ही महादलितों की बीच वितरित की जा सकी है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बतायेगी कि संचित लाभार्थियों के बीच कबतक भूमि वितरण करने का विचार रखती है, यदि नहीं तो क्यों?

कचहरी का निर्माण

176. **श्री राणा गंगेश्वर सिंह** : क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत मोहिउद्दीननगर अंचल के महमदपुर चौक एवं पंचायत में चालीस वर्षों से राजस्व कचहरी भवन है;

(ख) क्या यह सही है कि महमदपुर चौक से लो.नि.वि. की सड़कों के चौराहे पर बहुत मूल्यवान भूमि पर कुछ दबंग लोगों द्वारा अवैध कब्जा किया जा रहा है;

(ग) क्या यह सही है कि राजस्व कचहरी की भूमि का अवैध कब्जा के क्रम में राजस्व कचहरी के ईंट एवं खपड़ैल भवन को अवैध ढंग से तोड़ा जा रहा है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राजस्व कचहरी की भूमि को अवैध कब्जा से मुक्त कराने, भवन को क्षतिग्रस्त होने से रोकने के साथ कीमती एवं उपर्युक्त स्थल पर एक नया राजस्व कचहरी बनाने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

गुरू सर्किट के तहत विकास

177. **श्री सी. पी. सिन्हा** : क्या मंत्री, पर्यटन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि सिखों के दसवें गुरू श्री गोविन्द सिंह जी के 350वें प्रकाशोत्सव पर मा. मुख्यमंत्री बिहार ने बिहार में सिख गुरू साहिबानों से जुड़े स्थलों को गुरू सर्किट के तहत विकसित करने की घोषणा की थी;

(ख) क्या यह सही है कि सासाराम स्थित गुरूद्वारा टकसाल साहिब, गुरूद्वारा चाचा फल्गूमल और लक्ष्मीपुर गुरूद्वारा कटिहार के साथ ही विभिन्न गुरूद्वारों के विकास की योजनाएं हैं;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार सूबे में गुरू सर्किट के कई स्थलों के विकास एवं पर्यटन को बढ़ावा देने पर शीघ्र विचार करना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

मच्छरों से निजात

178. **श्री राधा चरण साह** : क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि पटना नगर निगम में छठ के बाद फॉगिंग नहीं हुआ है जिसके कारण शहर में काफी संख्या में मच्छरों का प्रकोप बढ़ा है;

(ख) क्या यह सही है कि पटना नगर निगम में फॉगिंग करने के लिए छोटी-बड़ी कई मशीनें हैं;

(ग) क्या यह सही है कि वर्ष 2017-18 में पटना में कई बार फॉगिंग कराया जाता है और इस मद में सरकारी स्तर से काफी रुपये खर्च किये जाते हैं;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार पटना नगर निगम के सभी वार्ड में कबतक मच्छरों से निजात दिलाना चाहती है?

रोड एवं नाला निर्माण

179. **श्री संजीव कुमार सिंह** : क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि पटना नगर निगम के वार्ड सं.-12 में अंबेदकर चौक से रोड सं.-21 तक रोड एवं नाला की स्थिति दयनीय है;

(ख) क्या यह सही है कि दलित बस्ती के इस रोड की लंबाई 1450 फीट मात्र है और आये दिन यहां बरसात के दिनों में सड़क खराब रहने एवं पानी लगने के कारण दुर्घटनाएं होती रहती हैं;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त रोड एवं नाले को कबतक बनवाना चाहती है?

सुनील कुमार पंवार
सचिव
बिहार विधान परिषद्

पटना
दिनांक : 28 मार्च, 2018